रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CK 29/7/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 1986/आषाढ़ 2, 1908
No. 309] NEW DELHI, MONDAY, 23, 1986/ASADHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1986

अधिसूचना

सं. 366/86-सीमाशुल्क

सा. का.नि. 896(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व तथा बैंकिंग

विभाग की अधिसूचना सं. 204-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक में "(ङ) उद्योग मंत्रालय (तकनीकी विकास महानिदेशालय) का विकास खण्ड", कोष्ठकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "(ङ) उद्योग मंत्रालय (तकनीकी विकास महानिदेशालय)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 370/8/86-सीमाशुल्क I]
एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd June, 1986

NOTIFICATION

No. 366|86-CUSTOMS

G.S.R. 896 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 204-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the first proviso to the said notification, for the brackets, letter and words "(e) Development Wing of the Ministry of Industry (Directorate General of Technical Development)", the brackets, letter and words "(e) the Ministry of Industry (Directorate General of Technical Development)" shall be substituted.

[F. No. 370|8|86-Cus.I]
M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986